



न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 पुनर्वलोकन आवेदन - 2200-II/12

हरवंश सिंह पुत्र श्री सौदागर सिंह, आयु - 83 वर्ष, निवासी-ग्राम बर्दाबुजुर्ग, तहसील व जिला श्योपुर, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर म.प्र.
2. मायाराम मृत द्वारा वारिसान
अ. नाथूलाल
ब. रामस्वरूप
पुत्रगण स्व. मायाराम,
3. कपूरी बाई पुत्र स्व. मायाराम, पत्नी केसरीलाल,
4. गायत्री पुत्री मायाराम, पत्नी विशंभरदयाल,
समस्त निवासीगण- ग्राम बर्दाबुर्जग, तहसील व जिला श्योपुर, म.प्र.
5. रामदयाल पुत्र काना जाट, निवासी- ग्राम तलावडा, तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

.....अनावेदकगण

पुनर्वलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 अध्यादेश भू-राजस्व संहिता 1959, वास्ते पुनर्वलोकन आदेश दिनांक 1.11.2011 प्रकरण क्रमांक 123-II/2007 रिवीजन उन्मान मायाराम फौत द्वारा नाथूराम विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य पारित द्वारा श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर।

आवेदक का आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि, स्वर्गीय मायाराम जो कि निगरानीकर्तागण के स्वर्गीय पिता थे, ने आवेदक के हित में दिनांक 15.5.1998 को

पुनर्वलोकन
अवेदक
16-7-12

श्री अविषयगत
द्वारा आज दि. 16-7-12 को
प्रस्तुत
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16/7/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2200-एक/12

जिला -श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.11.2015 	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित । तीन बार पुकार लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है  सदस्य	